दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिये मानदंड

1227. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा किस आधार पर संपत्ति कर का मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में कर योग्य मूल्य में वृद्धि न करने के बारे में कोई फैसला दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या समान "कवर्ड एरिया" वाले मकानों के लिये अलग-अलग कर योग्य मूल्य हो सकता है; और

(ङ) क्या केवल एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के परिणामस्वरूप कर योग्य मूल्य 380/-रुपये से बढ़ाकर 1080/-रुपये किया जा सकता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग). तक:--

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निगम द्वारा दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, 1957 की धारा 116 के परन्तुक के अनुसार निकाले गये कर योग्य मूल्य के आधार पर संपत्ति कर का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन योग्य किसी भूमि अथवा भवन का कर योग्य मूल्य वह वार्षिक किराया होगा, जिस पर ऐसी भूमि अथवा भवनों को मरम्मत आदि के लिए 10% घटाकर वर्ष दर वर्ष यथोचित किराये पर दिये जाने की आशा की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक निर्णय में यह निर्धारित किया है कि किसी संपत्ति का यथोचित किराया मूल्य दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के परन्तुकों के संदर्भ में ही निर्धारित किया जा सकता है। निगम द्वारा न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ). दिल्ली नगर निगम के अनुसार समान कवर्ड एरिया वाले मकानों के लिए भिन्न-भिन्न कर योग्य मूल्य हो सकता है और केवल एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के परिणामस्वरूप कर योग्य मूल्य में वृद्धि की जा सकती है जो प्रत्येक मामले के गुण दोष पर निर्भर होगा।

दिल्ली प्रशासन की वरीयता सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम शामिल किया जाना

1228. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के नाम योग्यता के अनुसार उनके अपने ग्रेड की वरीयता सूची में शामिल नहीं किये गये हैं अपितु उनके नाम सूची के अन्त में रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) योग्यता के अनुसार वरीयता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। जैसा दिल्ली प्रशासन द्वारा बताया गया है, अधिकारियों को वरीयता देने से संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। इस समय प्रशासन द्वारा अपनाये गये नियमों के दो सेट हैं अर्थात् क्वालिफाइंग सर्विस की लंबाई के अनुसार किसी ग्रेड में अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने के दिल्ली राज्य सेवा (वरीयता) नियम, 1954 और दिल्ली प्रशासन सेवा (वरीयता) नियम, 1965 जिसमें चयन बोर्ड अथवा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उनको दिये गये गुणदोष के अनुसार अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था है। किसी विशेष ग्रेड में चयन करने के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित तत्संबंधी अनुदेशों पर उचित ध्यान दिया जाता है और एक बार चयन हो जाने पर सामान्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों दोनों उम्मीदवारों को वरीयता सूची में उनके पारस्परिक गुण-दोष के क्रम में रखा जाता है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Representations from SC/ST Stenographers/Head Clerks in Delhi Administration

1229. SHRI CHANDRA PAL SHAILANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some SC/ST stenographers/Head Clerks working in Delhi Administration have been representing